सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अध्याय – 2 की धारा – 4(1)ख(8)

मैनुअल संख्या – 8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

मैनुअल–8

कारपोरेशन की व्यवस्था

निदेशक मण्डलः–

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 की व्यवस्था निदेशक मण्डल में निहित है जिसमें अधिकतम 12 एवं कम से कम 3 निदेशक होते हैं। निदेशक मण्डल की बैठकें समय–समय पर होती रहती है लेकिन एक तिमाही में एक बैठक होना आवश्यक होता है। कारपोरेशन की दिन–प्रतिदिन की व्यवस्था प्रबन्ध निदेशक के द्वारा देखी जाती है, जोकि निदेशक मण्डल के नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं अधीक्षण में कार्य करते हैं। प्रबन्ध निदेशक की कारपोरेशन के चार पूर्ण कालिक निदेशक एवं अन्य अधिकारी सहयोग करते हैं। उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल में निम्न निदेशक सम्मिलित हैः–

1. श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव(वित्त), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
2. श्री पी0सी0 शर्मा, प्रमुख सचिव(सिंचाई एवं उद्योग), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
3. श्री उत्तपल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
4. श्री जे0एल0 ब्जाज, पूर्व अध्यक्ष(उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग), 184, सैक्टर –15A. नोएडा।
5. डा0 एस0 रमेश, कालका स्टेट, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा, पिन– 263645
6. श्री ईशान शंकर, 111 विनायक अर्पाटमेन्ट, बी0एच0ई0एल0 हाऊसिंग सोसाईटी, सैक्टर–62, नोएडा।
7. श्री नितीश कुमार झा, अपर सचिव(ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
8. श्री जे0एम0 लाल, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
9. श्री आर0पी0 थपलियाल, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, उज्जवल जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून।
10. श्री जयन्त कुमार, निदेशक(वित्त) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
11. श्री शरद कृष्ण, निदेशक(मा0सं0) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून।
12. श्री ऐ0के0 जौहरी, निदेशक(परियोजना), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून।

श्री एच0पी0 व्यास, कम्पनी सचिव निदेशक मण्डल को सहयोग करते हैं।

सम्प्रेक्षा समितिः–

कारपोरेशन के उत्तम वित्तीय अनुशासन के लिए कारपोरेट स्तर पर एक सम्प्रेक्षा समिति का गठन किया गया है, समिति में कम से कम तीन सदस्य सम्मिलित किये गये हैं, जिनमें एक तिहाई सदस्य अंशकालिक निदेशक हैं। वर्तमान में सम्प्रेक्षा समिति में निम्न दो सदस्य हैः–

1. डा0 एस0 रमेश, कालका स्टेट, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा, पिन– 263645
2. **श्री जे0 एम0 लाल, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून।**

निदेशक मण्डल द्वारा यदि कोई प्रकरण उद्घृत किया गया हो तो सम्प्रेक्षा समिति को इसकी पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार है। समिति को पूर्ण विकल्प प्राप्त है कि वह कारपोरेशन के अभिलेखों से जानकारी प्राप्त करे और इस हेतु यदि आवश्यकता पड़े तो वाह्य व्यावसायिक सलाह भी प्राप्त कर सकती है। समिति समय–समय पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पर सम्प्रेक्षकों से संवाद स्थापित कर सकती है, सम्प्रेक्षण का उदेश्य वित्तीय विवरण को निदेशक मण्डल में जाने से पूर्व पुर्नवालोकन होता है।

कारपोरेशन के अंशधारकः–

कारपोरेशन के अंशधारक निदेशक मण्डल से उच्च अधिकारिक होते हैं क्योंकि अंशधारकों का धन कारपोरेशन में निवेशित होता है, क्योंकि यह एक सरकारी उपक्रम है इसलिए शतप्रतिशत अंश उत्तरांचल सरकार के पास है।

कारपोरेशन के वर्तमान अंशधारक निम्न प्रकार हैंः–

1. माननीय गर्वनर उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
3. श्री इन्दु कुमार पाण्डें, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
4. श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव(पर्यटन) उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
5. श्री पूरन चन्द शर्मा, सचिव(पर्यटन), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
6. श्री उत्तपल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव(ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
7. श्री नितेश कुमार झा, अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।

कम्पनी की व्यवस्था एक कार्य प्रणाली के लिए निदेशक जवाबदेह होते हैं जबकि अंशधारकों की संगठन में उच्च पदस्थिति होती है वे कम्पनी अधिनियम 1956 के प्राविधानों के तहत निदेशकों पर नियन्त्रण रखते हैं।

क्या निदेशक मण्डल, परिषद, समिति एवं अन्य निकाय लोकार्थ हैं ? या इनकी बैठकों के निर्णय बिन्दु लोकार्थ के लिए सुगम है।

निदेशक मण्डल की बैठकों में कारपोरेशन की बहुत सारी नीतिगत प्रकरणों पर चर्चा होती है, जो गोपनीय रखे जाते हैं, अतऐव बोर्ड बैठकें आम लोगों के लिए खुली नहीं होती। बैठक के निर्णय बिन्दु भी आम लोगों की पहुंच से ऊपर होते हैं।

जहां तक सम्प्रेक्षण समिति एवं अंशधारकों की बैठकों का सम्बन्ध है, इन बैठकों में अन्य लोग भागीदारी नहीं कर सकते। सम्प्रेक्षा समिति तथा अंशधारकों की बैठकों में लिए गये निर्णय आम लोगों को नहीं बताये जातें, लेकिन फिर भी कम्पनी अधिनियम में निहित यथोचित निषेध प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक दिन कम से कम दो घन्टें अंशधारकों के निर्णय बिन्दु कार्य समय के दौरान केवल अंशधारकों (सदस्यों) के निरीक्षण के लिए शुल्क जमा करने पर प्राप्त की जा सकती है।